राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012
(2012 का अधिनियम संख्यांक 22)
(राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 21 मई, 2012 को प्राप्त हुई)

जनता को नियत समय-सीमाओं के भीतर सुनवाई का अधिकार प्रदान करने तथा उनसे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मंडल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है , अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भः-**

(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं:-** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) ''परिवाद'' से, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में चलाई जा रही किसी नीति कार्यक्रम या स्कीम के सम्बन्ध में कोई फायदा या अनुतोष मांगने के लिए , या ऐसा फायदा या अनुतोष प्रदान करने में विफलता या विलंब के संबंध में , या किसी लोक प्राधिकारी के कृत्यकरण में विफलता से , या उसके द्वारा राज्य में प्रवृत्त किसी विधि , नीति, आदेश, कार्यक्रम या स्कीम के अतिक्रमण से, उदभूत किसी मामले के संबंध में, किसी नागरिक या नागरिकों के समूह द्वारा लोक सुनवाई अधिकारी को किया गया कोई आवेदन अभिप्रेत है किन्तु इसमें किसी लोक सेवक , चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त, के सेवा मामलों से संबंधित या किसी ऐसे मामले से संबंधित , जिसमें किसी न्यायलाय या अधिकरण की अधिकारिता हो या सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं .22) के अधीन किसी मामले या राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम , 2011 (2011 का अधिनियम सं .23) के अधीन अधिसूचित सेवाओं से संबंधित शिकायत सम्मिलित नहीं है;

(ख) ''सुनवाई का अधिकार '' से नियत समय सीमा के भीतर किसी परिवाद पर नागरिकों- को प्रदत्त सुनवाई का कोई अवसर और परिसुनवाई में किये गये विनिश्चय के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार अभिप्रेत है;

(ग) ''लोक सुनवाई अधिकारी '' से धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई लोक सुनवाई अधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) ''सूचना और सुगम केन्द्र '' से ग्राहक सेवा केन्द्र , काल सेन्टर , हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्र को सम्मिलित करते हुए , धारा 5 के अधीन स्थापित कोई सूचना और सुगम केन्द्र अभिप्रेत है;

(ङ) ''लोक प्राधिकारी'' से राज्य सरकार और इसके विभाग अभिप्रेत हैं और इसमें राज्य विधान-मण्डल द्वारा बनायी गयी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उसके द्वारा उपलब्ध करायी गई निधियों से सारतः वित्त पोषित , कोई प्राधिकारी या निकाय या संस्था सम्मिलित है;

(च) ''प्रथम अपील प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी , जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

(छ) ''द्वितीय अपील प्राधिकारी'' से ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी , जो धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किया गया है, अभिप्रेत है;

(ज) ''नियम समय-सीमा'' से किसी परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्रदान करने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को , या किसी अपील का विनिश्चय करने के लिए प्रथम अपील प्राधिकारी या द्वितीय अपील प्राधिकारी को, या परिवादी या, यथास्थिति, अपीलार्थी को ऐसे परिवाद या , यथास्थिति, अपील के विनिश्चय के बारे में सूचित करने के लिए पूर्वोक्त प्राधिकारियों को, अनुज्ञात अधिकतम समय-सीमा अभिप्रेत है;

(झ) ''दिवस'' से समय-सीमा के रूप में निर्दिष्ट कार्य दिवस अभिप्रेत है;

(ञ) ''विनिश्चय'' से अधिनियम के अधीन अधिसूचित लोक सुनवाई अधिकारी या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किसी परिवाद या अपील या पुनरीक्षण पर किया गया कोई विनिश्चय अभिप्रेत है और इसमें परिवादी या , यथास्थिति, अपीलार्थी को भेजी गई सूचना सम्मिलित है;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है; और

(ठ) ''राज्य सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

3. लोक सुनवाई अधिकारी , प्रथम अपील प्राधिकारी , द्वितीय अपील प्राधिकारी और प्राधिकारी पुनरीक्षण तथा नियत समय-सीमा की अधिसूचना राज्य सरकार समय-समय पर, लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी, द्वितीय अपील प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारी तथा नियत समय-सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।

4. नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर सुनवाई का अवसर प्राप्त करने का अधिकार:

-

(क) लोक सुनवाई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन फाइल किये गये किसी परिवाद पर नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

(ख) लोक सुनवाई अधिकारी , ऐसे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की सहायता मांग सकेगा, जिसे वह उप-धारा (1) के अधीन अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे।

(ग) कोई भी अधिकारी या कर्मचारी , जिसकी सहायता की मांग उप-धारा (2) के अधीन की गयी है, उसकी सहायता मांगने वाले लोक सुनवाई अधिकारी को समस्त सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसा अन्य अधिकारी या, यथास्थिति, कर्मचारी लोक सुनवाई अधिकारी माना जायेगा।

(घ) नियत समय-सीमा उस तारीख से प्रारम्भ होगी जिसको कोई परिवाद लोक सुनवाई अधिकारी को या परिवाद प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को फाइल किया जाता है। परिवाद की प्राप्ति की सम्यक् रूप से अभिस्वीकृति दी जायेगी।

(ङ) लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (1) के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर नियत समय-सीमा के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और परिवादी को सुनने के पश्चात् या तो उसे स्वीकार करते हुए या मांगा गया फायदा या अनुतोष मंजूर करने के लिए उसे किसी सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट करते हुए या किसी अन्य विधि , नीति, ओदश, कार्यक्रम या स्कीम के अधीन उपलब्ध कोई वैकल्पिक फायदा या अनुतोष सुझाते हुए या उसे खारिज करते हुए, जिसके कारणों को लेखबद्ध किया जाएगा, परिवाद को विनिश्चित करेगा और नियत समय-सीमा के भीतर परिवाद पर अपने विनिश्चय से परिवादी को संसूचित करेगा।

5. सूचना और सुगम केन्द्र की स्थापनाः-

(क) जनता की शिकायत का दक्षता और प्रभावी तरीके से निराकरण करने के प्रयोजनों के लिए और इस अधिनियम के अधीन परिवादों को प्राप्त करने के लिए , राज्य सरकार सूचना और सुगम केन्द्रों की स्थापना करेगी जिनमें ग्राहक सेवा केन्द्र , काल सेन्टर, हेल्प डेस्क और जन सहायता केन्द्रों की स्थापना सम्मिलित हो सकेगी।

(ख) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सूचना और सुगम केन्द्रों के संबंध में नियम बना सकेगी।

(ग) प्रत्येक लोक प्राधिकारी , सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिकायत के निराकरण को सम्मिलित करते हुए, शिकायत निराकरण की पद्धति में विकास , प्रोन्नति, आधुनिकीकरण और सुधार के लिए उत्तरदायी होगा।

6. अपीलः-

(1) कोई भी व्यक्ति , जिसे नियत सीमा -सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है या जो लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है , नियत समय तारीख की समाप्ति से या लोक सुनवाई अधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगाः
परन्तु प्रथम अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(2) यदि लोक सुनवाई अधिकारी, धारा 4 के उपबंधों का पालन नहीं करे तो ऐसे अनुपालन से व्यथित कोई भी व्यक्ति सीधे ही प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवाद प्रस्तुत कर सकेगा जिसे प्रथम अपील की रीति से निपटाया जायेगा।

(3) प्रथम अपील प्राधिकारी, लोक सुनवाई अधिकारी को उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

(4) प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील , प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर द्वितीय अपील प्राधिकारी को होगीः परन्तु द्वितीय अपील प्राधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(5) कोई व्यथित व्यक्ति सीधे ही द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील फाइल कर सकेगा , यदि लोक सुनवाई अधिकारी उप-धारा (3) के अधीन प्रथम अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना नहीं करता है या प्रथम अपील प्राधिकारी नियत समय-सीमाओं के भीतर अपील का निपटारा नहीं करता है , उसे द्वितीय अपील की रीति से निपटाया जायेगा।

(6) द्वितीय अपील प्राधिकारी , लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी को परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने या , यथास्थिति उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपील का निपटारा करने का आदेश दे सकेगा या अपील खारिज कर सकेगा।

(7) द्वितीय अपील प्राधिकारी, परिवादी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के साथ-साथ , लोक सुनवाई अधिकारी पर धारा 7 के उपबंधों के अनुसार शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

(8) प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी को इस धारा के अधीन किसी अपील का विनिश्चय करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता , 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं .5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती हैं , अर्थात्ः-

(क) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पेश की जा सकने वाली तात्विक सामग्री को प्रकट करना और प्रस्तुत करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना-;

(घ) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना;

(च) अपने विनिश्चयों, निदेशों और आदेशों का पुनर्विलोकन करना; औरया/

(छ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाये।

7. शास्तिः-

(1) जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की यह राय है कि लोक सुनवाई अधिकारी बिना किसी पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण से नियत समय-सीमा के भीतर सुनवाई का अवसर प्रदान करने में विफल रहा है वहां वह उस पर शास्ति अधिरोपित कर सकेगा और पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी किन्तु पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगीः
परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व उस व्यक्ति को, जिस पर शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा

(2) उप-धारा (1) के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति लोक सुनवाई अधिकारी के वेतन से वसूलीय होगी।

(3) द्वितीय अपील प्राधिकारी , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी , पर्याप्त और युक्तियुक्त कारण बतलाये बिना , इस अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है तो उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन उसके विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा।

8. पुनरीक्षणः- इस अधिनियम के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में द्वितीय अपील प्राधिकारी के किसी आदेश द्वारा व्यथित लोक सुनवाई अधिकारी या प्रथम अपील प्राधिकारी उस आदेश की तारीख के साठ दिवस की कालावधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी को पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकेगा। नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निपटारा करेगाः
परन्तु राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी या प्राधिकारी साठ दिवस की उक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् किसी आवेदन को ग्रहण कर सकेगा , यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से रोका गया था।

9. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई का संरक्षणः- इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किन्हीं भी नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधि कार्यवाहियां नहीं होंगी।

10. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जनः- किसी सिविल न्यायालय को किसी भी प्रश्न पर सुनवाई विनिश्चय या कार्रवाई करने या किसी भी मामले का अवधारण करने की अधिकारिता नहीं होगी जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी , द्वितीय अपील प्राधिकारी या राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा सुने जाने, विनिश्चित किये जाने या कार्रवाई किये जाने या अवधारित किये जाने के लिए अपेक्षित है।

11. विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंधः- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

12. नियम बनाने की शक्तिः-

(1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गए समस्त नियम , इनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष , जब वह सत्र में हो , चौदह दिन से अन्यून की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, उस सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपातंरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई भी नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या , यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधि मान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

13. कठिनाइयों का निराकरणः-

(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा , कोइ्र भी ऐसी कार्रवाई कर सकेगी , जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो , जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होः

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

प्रकाश गुप्ता,
प्रमुख शासन सचिव

प्ररूप 1

आवेदन का प्ररूप

(नियम 3 देखिए)

प्रेषिती,
लोक सुनवाई अधिकारी,
.....
.....
(लोक सुनवाई अधिकारी का नाम
और कार्यालय का पता)

1. **परिवादी का नामः.....**
2. **पिता का नामः.....**
3. **पताः.....**

दूरभाष न./मोबाइल .....

4. **परिवादः**

(i) **दावाकृत फायदा या अनुतोषः**

.....
.....
.....

(पृथक् पन्ना संलग्न किया जाये)

(ii) **अधिकारी और विभाग का नाम जिससे परिवाद संबंधित हैः**

.....

5. **यदि परिवाद के समर्थन में दस्तावेज संलग्न किये है, तो दस्तावेजों के ब्योरेः**
   (i)
   (ii)
   (iii)
6. **क्या पूर्व में परिवाद किया हैः हां/नहीं**
   (यदि हां, तो अधिकारी/विभाग का नाम का नाम दीजिए)
7. **पूर्व परिवाद पर प्राप्त जवाबः हां/नहीं**
   (यदि हां, तो जवाब के ब्योरे दीजिए)
8. **अन्य कोई सूचना जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहेः.....**

तारीखः.....

परिवादी के हस्ताक्षर

(कृपया अपने परिवाद की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें)

प्ररूप 2

अभिस्वीकृति

(**नियम** 4 **देखिए)**

विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण सं..... **दिनांक: .....**

1. **परिवादी का नाम.....:**
2. **परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेजों की सं .....**
3. **परिवादी की सुनवाई के लिए नियत तारीख:.....**
4. **कोई अन्य विशिष्टियां जिनका लोक सुनवाई अधिकारी उल्लेख करना चाहेः.....**

स्थानः.....
दिनांकः.....

प्राप्तिकर्ता के हस्ताक्षर
नाम और मुहर सहित पदनाम

प्ररूप 3

(**नियम** 7 **देखिए)**

कार्यालय का नाम/विभागः..... **दिनांक: .....**
सं.....

1. **लोक सुनवाई अधिकारी का नाम.....:**
2. **परिवादी का नामः .....**
3. **परिवाद के विशिष्ट रजिस्ट्रीकरण संख्यांक का संदर्भ और तारीख.....:**
4. **परिवाद का विषयः.....**
5. **सुनवाई की तारीख.....**

विनिश्चय

लोक सूचना अधिकारी के
हस्ताक्षर

यदि परिवादी विनिश्चय से व्यथित है तो वह प्रथम अपील प्राधिकारी की तीस दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगाः (प्रथम अपील प्राधिकारी के ब्योरे).....

लोक सुनवाई अधिकारी के
हस्ताक्षर

प्ररूप 4

राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के अधीन सुनवाई में संबंधित सूचना

(नियम 8 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी का नामः.....

कार्यालय का पताः.....

1	2		3
1	आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	:	....
2	परिवाद की सुनवाई के लिए नियत दिवसों की संख्या	:	दिवस.....
3	परिवाद के निपटारे के लिए नियत समय सीमा	:	
4	प्रथम अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	नियत समय-सीमा के अवसान से विनिश्चय की तारीख से तीस दिवस के भीतर
5	द्वितीय अपील फाइल करने के लिए समय सीमा	:	प्रथम अपील प्राधिकारी के विनिश्चय की तारीख से तीस दिवसों के भीतर
6	प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
7	द्वितीय अपील प्राधिकारी का नाम और पता	:	....
8	परिवाद पर विनिश्चय की संसूचना की समय सीमा	:	

टिप्पणः कृपया अपने आवेदन की अभिस्वीकृति अनिवार्य रूप से प्राप्त करें।

लोक सुनवाई अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररुप 5

नामनिर्दिष्ट लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(नियम 19 देखिए)

लोक सुनवाई अधिकारी के कार्यालय का नामः..... .....

मास..... वर्ष.....

क्र.स.	विशिष्ट रजि.स.	परिवाद के प्राप्ति की तारीख	आवेदक का नाम और पता	परिवाद का विषय	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	आवेदन मंजूर/ नामंजूर/अन्य लो.सु.अधि. को अन्तरित किया गया	पारित आदेश की तारीख और ब्यौरे	विनिश्चय की तारीख	आवेदक को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्ररुप 6

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

(नियम 19 देखिए)

प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः.....

.....

क्र.स.	प्रथम अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि. सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि. का नाम और पता	नियत समय सीमा की अंतिम तारीख	अपील प्रतिगृहीत की गयी/ नामंजूर	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप 7

(नियम 19 देखिए)

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप

द्वितीय अपील प्राधिकारी के कार्यालय का नामः.....

.....

क्र.स.	द्वितीय अपील फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि. सं.	अपीलार्थी का नाम और पता	लो. सू. अधि./ प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	अपील प्रतिगृहीत की गयी/ नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रू.	विनिश्चय की तारीख	अपीलार्थी को भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

प्ररुप 8

(नियम 19 देखिए)

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर का प्ररुप

पुनरीक्षण प्राधिकारी के कार्यालय का नाम और पताः.....

.....

क्र.स.	पुनरीक्षण फाइल करने की तारीख	परिवाद का विशिष्ट रजि. सं.	पुनरीक्षण में आवेदक का नाम और पता	लो. सू. अधि./ प्रथम अपील प्राधिकारी का नाम और पता	पुनरीक्षण प्रतिगृहीत किया गया/ नामंजूर	शास्ति (यदि कोई हो) रू.	विनिश्चय की तारीख	भेजे गये विनिश्चय की सूचना की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9

{ संख्या एफ.13(1) एआरएण्डसी/ ग्रुप -1/2012 }

राज्यपाल केआदेश से,

डॉ.आर.पी.जैन,

प्रमुख शासन सचिव।